

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक 07.05.2023 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायतीराज संस्थानों के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:-

"135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-

- (1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
- (3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः राज्य सरकार सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में 'मतदान दिवस' दिनांक 07.05.2023 के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

श्रम आयुक्त

राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(3)/पंचा/रानिआ/2022/1474

दिनांक: 25/04/2023

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:-एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/ 1031

जयपुर, दिनांक: 20.04.2023

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक 07.05.2023 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायतीराज संस्थानों के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:-

"135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-

- (1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संवत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
- (3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः राज्य सरकार सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में 'मतदान दिवस' दिनांक 07.05.2023 के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।


श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/वि०/2015/पार्ट-2/7032-7101

जयपुर, दिनांक: 20.04.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.7(2)(3)/पंचा/रा.नि.आ/2022/1207 दिनांक 06.04.2023 के क्रम में।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स, ई.एस.आई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 4- जिला कलेक्टर (समस्त)
- 5- श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, एवं संयुक्त श्रम आयुक्त, (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित संस्थानों के नियोजकों को उनके संगठनों तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के संगठनों को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।

- 6- गार्ड फत्रावली।

संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि)
राज०, जयपुर।